राजस्व लोक अदालत केम्प कितपाला तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 44 / 2018

वादीगण :— 1 जबरसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत निवासी कितपाला
बनाम
प्रतिवादीगण :— 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

आदेश दिनांकः—7.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत कितपाला में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम सिणली चौसीरा के खसरा न0 400 / 129, 436 / 159, 465 / 160 रकबा 34—02, 45—19, 16—01 व ग्राम कतवारी के ख0न0 361, 362, 425 / 262, 431 / 265, 494 / 388 रकबा 0.07, 117.12, 33.10, 80.06, 53.02, में अपीलाण्ट का नामन्तरकरण संख्या 405 मे दर्ज करते समय अशुद्व नाम जोरसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार जबरसिंह पुत्र लालसिंह है अतः अपीलाण्ट का सही नाम जबरसिंह पुत्र लालसिंह करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता अपीलाण्ट सरंपच ग्राम पंचायत सिणली जागारी, गुलाबसिंह, हुकमसिंह, विशनसिंह, प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र पेन कार्ड व पटवारी सिणली जागारी /आरआई तिलवाडा/उप तहसीलदार जसोल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे जोरसिंह पुत्र लालसिंह की जगह जबरसिंह पुत्र लालसिंह नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम जोरसिंह पुत्र लालसिंह की जगह जबरसिंह पुत्र लालसिंह करने के आदेश जारी दिए जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........................

Scanned by CamScanner